

कैलाशचन्द्र बनाम लो.सू.अ. ( अपर जिला कलक्टर जोधपुर )

सू.अ.अ. अपील संख्या 105/2020

24.08.20

अपीलार्थी कैलाशचन्द्र निवासी-7ए-17, कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 25.06.20 में उसके द्वारा (1) वर्ष 2000 से 2019 तक आपके कार्यालय में स्वीकृत कनिष्ठ लिपिक, वरिष्ठ लिपिक एवं कार्यालय सहायक के पदों की सूचना वर्षवार प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी ( कार्यालय जिला कलक्टर जोधपुर ) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) से आदिनांक तक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है। तथा लोक सूचना अधिकारी ( अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर ) को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के बारे में प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।

